रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092020-221688
CG-DL-E-11092020-221688

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2775] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 11, 2020/भाद्र 20, 1942
No. 2775] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 11, 2020/BHADRA 20, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2020

का.आ. 3122(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (47) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा परवर्ती वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ अवसंरचना ऋण निधि नामत: 'एल एण्ड टी इंफ्रा डेट फण्ड (पैन-एएसीसीएल4493आर)' को अधिसूचित करती है:-

(i) यह कि अवसंरचना ऋण निधि आयकर नियमावली, 1962 के नियम-2च, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों तथा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई शर्तों के अनुसार होगी तथा उनका अनुपालन करेगी, तथा

(ii) यह कि अवसंरचना ऋण निधि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) द्वारा यथा अपेक्षित अपनी आय की विवरणी नियत तिथि को अथवा उससे पहले दायर करेगी।

[अधिसूचना सं. 74/2020/फा. सं. 178/42/2017-आईटीए-I]

गुलज़ार अहमद वानी, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्व प्रभाव से लागू करने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2020

S.O. 3122(E).—In exercise of the powers conferred by clause (47) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the Infrastructure Debt Fund namely, the 'L&T Infra Debt Fund (PAN: AACCL4493R)' for the purposes of the said clause, for the assessment year 2018-2019 and subsequent years subject to the following conditions, namely:-

(i) that the Infrastructure debt fund shall conform to and comply with the provisions of the Income-tax Act, 1961, rule 2F of the Income-tax Rules, 1962 and the conditions provided by the Reserve Bank of India in this regard, and

(ii) that the Infrastructure debt fund shall file its return of income as required by sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961 on or before the due date.

[Notification No. 74/2020/F. No. 178/42/2017-ITA-1]

GULZAR AHMAD WANI, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.09.11 22:06:24 +05'30'